

Regarding non-payment of compensation for land acquisitioned by NTPC

श्री मनीष जायसवाल (हजारीबाग) : सभापति महोदय, आज आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, क्षेत्र के विस्थापन का विषय रखा था। आपने आधे मिनट का समय दिया था, इसलिए पूरी बात नहीं रख पाया था। आज मैं उसी बात को पूरा कर रहा हूँ।

हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा में सीसीएल और एनटीपीसी के द्वारा कोयला खदानों के लिए विस्थापन किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के केरडारी, बड़कागांव, डारी, चुरचु और रामगढ़ जिले के मांडू और रजरप्पा में।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य आपका विषय भैरवा जलाशय के बारे में था।

श्री मनीष जायसवाल : सभापति महोदय, मैंने लिख कर दिया है। एनटीपीसी की कोल माइनिंग परियोजना में कम्पेनसेशन के रूप में चार चीज देते हैं, पहला, जमीन का दाम देते हैं जो कि अभी 24 लाख रुपये दे रहे हैं, जबकि मार्केट में जमीन का रेट बहुत ज्यादा है। कम से कम उसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये देना चाहिए, इस विषय को मैंने पहले भी रखा था।

दूसरा, असेट्स का कम्पेनसेशन देते हैं। अगर मेरा मकान बना हुआ है तो पक्के मकान का 950 रुपये कम्पेनसेशन देते हैं और कच्चे मकान का 650 रुपये प्रति स्कवॉयर फीट कम्पेनसेशन देते हैं। यह अन्याय है। अगर ये लोग अपनी स्कीम बनाते हैं तो 2200 से 2500 प्रति स्कवॉयर फीट रखते हैं, जब गरीबों को कम्पेनसेशन देने की बारी आती है तो बिल्कुल आधा देते हैं।

मेरी मांग है कि मकान के कम्पेनसेशन के दाम को बढ़ाना चाहिए। अभी पक्के मकान का जो 950 रुपये है, उसे 2000 रुपये करना चाहिए और कच्चे मकान का 650 रुपये से 1500 रुपये करना चाहिए। विस्थापन के लाभ पर पेंच फंसता है। 16-05-2016 को पकड़ी बड़वाडीह में इनकी माइन शुरू होती है। उन्होंने एक कट ऑफ डेट तय की कि 16-05-2016 को जिन लोगों की आयु 18 साल की होगी, हम केवल उनको देंगे। लेकिन जमीन का विस्थापन कब कर रहे हैं? वर्ष 2025-2026 में जमीन से विस्थापन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रोक दिया, वर्ष 2016 के बाद मैं उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सेक्शन 4 और 9 लागू हो जाता है, हम न वहां घर बना सकते हैं, न बेच सकते हैं। अगर आज हमसे लेते हैं, जिस दिन वह लेंगे, उसी दिन का कम्पेनसेशन देना चाहिए, यह न्यायोचित होगा।

मेरी मांग है कि कम्पेनसेशन के रेट को बढ़ाना चाहिए। आज बहुत मुश्किल से मेरा समय आया है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उस इलाके में एनटीपीसी टोटल मैकेनाइज कर रही है। कन्वेयर बेल्ट से कोयला आएगा और अपने आप रैक लोडिंग सिस्टम से लोड हो जाएगा। इसका मतलब वहां के लोगों को केवल देखना है, आवाज सुनना है और धूल सहना है। जितने लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, अभी आप देखेंगे कि आज के दिन में 15 मिलियन टन कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उन्होंने व्यवस्था की है कि वर्ष 2025 में 3 मिलियन टन कोयला रोड से जाएगा और वर्ष 2026 के बाद जीरो हो जाएगा। उससे टोटल रोजगार खत्म हो जाएगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए । हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, लेकिन रोजगार भी महत्वपूर्ण है । जो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो लोग वहां लोकल रोजगार करते हैं, उन सभी लोगों को बैलेंस करना चाहिए । यह एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है ।

केवल मैकेनाइज करने से काम नहीं चलेगा । पेड़ तो बचेगा, लेकिन वहां पर आदमी खत्म हो जाएंगे । आदमी और पर्यावरण के बीच में एक बैलेंस स्थापित करना चाहिए । मेरी इस महत्वपूर्ण मांग पर सम्माननीय मंत्री जी विचार करें । मेरी आपसे यही आग्रह और विनती है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।